निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :173/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हरजीराम पुत्र श्री भोलूराम जाति जाट, निवासी ग्राम थला, खरबास की ढाणी, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जयपुर ग्रामीण।
2. मैसर्स राघव ड्रीम बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय शाप नम्बर 2, पारदिया हॉस्पीटल, डिग्गी रोड, सागानेर, जरिये प्रोपराईटर गिर्राज चौधरी पुत्र रामचन्द्र चौधरी निवासी मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2023 (111/2023) उनवानी मैसर्स राघव ड्रीम बिल्डर्स बनाम बजरंग व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री धर्मवीर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 20.02.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 07/2023 (111/2023) उनवानी मैसर्स राघव ड्रीम बिल्डर्स बनाम बजरंग व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री धर्मवीर चौधरी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.11.2023 को आदेश 1 नियम 10 सी पी सी के तहत एक प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनाने का पेश किया गया । जिसमें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात में प्रार्थी के हक अधिकार निहित होने के तथ्यों की बखूबी उल्लेखित कर पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

का बिना अवलोकन किये ही प्रार्थी को हिदायत दी गई की आगामी पेशी दिनांक 09.11.2023 दी जाती है तथा 9.11.2023 को ही आवश्यक रूप से जबाब/बहस करें। प्रार्थी का वाद ग्रस्त आराजीयात में हित निहित है। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त आराजीयात को पारिवारिक समझोता पत्र के अनुसार प्रार्थी के पिता स्व॰ भोलू व चाचा लक्ष्मीनारायण के नाम विकय पत्र तस्दीक करवा दिया तथा प्रश्नागत आराजीयात पर प्रार्थी काबिज काश्त है, किन्तु प्रार्थी के पिता के हित में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं हो पाया । प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने आपस मे दुरभी संधी कर तकास्मा व सीमाज्ञान की आड में प्रार्थी को बेदखल करने के आशय से उक्त वाद पेश किया। प्रार्थी ने दिनांक 03.11.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्भय हो गया था कि प्रार्थी को सुना बिना कोई कार्यवाही नहीं होगी। अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थी को धमकी दी कि तुम्हारे प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनाने की दरख्वास्त को मैं जल्द ही निस्तारण मेरे पक्ष में करवा कर तुम्हें कब्जे से बेदखल कर दूंगा। तुम्हे कोई न्याय नहीं मिलेगा। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 धनबल व भुजबल से सम्पन्न व्यक्ति है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण में अभी पक्षकार नहीं बना है। प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र लम्बित है। प्रार्थी जब तक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बन जाता तब तक प्रार्थी को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी का आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र बहस में नियत है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अभी पक्षकार संस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी जब तक प्रकरण में पक्षकार नहीं बन जाता, तब तक उस प्रकरण को मुन्तकिल कराने की अधिकारिता नहीं रखता है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner